



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-210

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 294421 दिनांक 28/04/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Kshitij Mathur S/o MAHIP SWAROOP MATHUR एवं Neha Mathur W/o KSHITIJ MATHUR	श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री सांवत सिंह	9	134.44 SQ. YARD	Private	KESAR NAGAR-E	Name Transfer	निजी खातेदारी की आवासीय योजना केसर नगर ई के आवासीय भूखण्ड संख्या 09 क्षेत्रफल 134.44 वर्ग गज का पट्टा दिनांक 09.09.2011 को श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री सांवत सिंह के नाम से जारी किया गया था। तत्पश्चात इनके द्वारा उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.09.2011 के माध्यम से श्री नरेश कुमार जोशी पुत्र श्री धरणी किशोर जोशी को बैचान कर दिया गया। तत्पश्चात श्री नरेश कुमार जोशी उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.05.2012 के माध्यम से श्री



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रमोद कुमार
काला पुत्र श्री
भागचन्द काला व
श्रीमती सुगन
काला पत्नी श्री
प्रमोद कुमार
काला को बैचान
कर दिया गया।
तत्पश्चात इनके
द्वारा उक्त
भूखण्ड जरिये
रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र दिनांक
07.04.2022 के
माध्यम से श्रीमती
मनोरमा माथुर
स्व0 श्री महीप
स्वरूप माथुर
(हिस्सा 90
प्रतिशत), श्री
क्षितिज माथुर पुत्र
स्व0 श्री महीप
स्वरूप माथुर
(हिस्सा 5
प्रतिशत) एवं
श्रीमती नेहा माथुर
पत्नी श्री क्षितिज
माथुर (हिस्सा 5
प्रतिशत) को
बैचान कर दिया
गया। श्रीमती
मनोरमा माथुर की
मृत्यु दिनांक
05.02.2026 एवं
श्री महीप स्वरूप
माथुर की मृत्यु
दिनांक
05.02.2026 को
होने के पश्चात श्री
क्षितिज माथुर पुत्र
स्व0 श्री महीप
स्वरूप माथुर एवं
श्रीमती नेहा माथुर
पत्नी श्री क्षितिज
माथुर द्वारा
सजरा प्रमाण पत्र,



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

मृत्यू प्रमाण पत्र,
शपथ पत्र के
आधार पर उक्त
भूखण्ड का नाम
हस्तान्तरण किये
जाने हेतु निवेदन
किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Kshitij Mathur S/o MAHIP SWAROOP MATHUR एवं Neha Mathur W/o KSHITIJ MATHUR को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |